न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 31 / 2021 तारीख रजू :– 27.07.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. श्यामलाल | पिसरान मुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर
2. चन्द्रभान | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. लक्ष्मी पुत्री मुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन
4. मु0 रूकमणी पत्नि मुरारी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ————————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय

दिंनाक :– 06.08.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि हमारे पिताजी श्री मुरारी पुत्र श्री किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली को दिनांक 04.11.1975 को ग्राम बनवारीपुर की भूमि खसरा नम्बर 138 में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। जिसका पट्टा कमांक 1891 दिनांक 04.11.1975 को मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया गया। उक्त पट्टे के आधार पर खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन का नामान्तकरण सं0 207 फैंसल दिनांक 10.03.1976 मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन के हक में भरा जाकर स्वीकार हुआ तथा उक्त नामान्तकरण का अमल जमाबन्दी सं0 2034–37 के खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा ग्राम बनवारीपुर में मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण(कारीगर) सा0देह दर्ज कर दिया। इसके पश्चात जमाबन्दी सं0 2038–41 में खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा ग्राम बनवारीपुर में मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (जांगिड) सा0देह दर्ज कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा ग्राम बनवारीपुर के नवीन खसरा नम्बर 311, 312, 313, 314, 315 कायम किये गये एवं मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड सा0देह के नाम जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया जो आदिनांक तक बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई नामान्तकरण जाति परिवर्तन सम्बन्ध नहीं भरा गया है। राजस्व कर्मियों के द्वारा बिना किसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में हमारे पिता की जाति ब्राहम्ण से जांगिड कर दी गई है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। राजस्व रिकार्ड में जाति गलत दर्ज होने के कारण विरासत का नामान्तकरण आदिनांक तक नहीं खोला गया है। जिसके कारण प्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड के स्थान पर मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को पत्रांक 1890 दिनांक 27.07.2021 जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र पत्रांक 4016 दिनांक 05.08.2021 पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र क मद नं01 में दर्ज किया है कि ग्राम बनवारीपुर जमाबन्दी सं0 2070–73 खसरा नम्बर 311, 312/1, 313, 314, 315 किता 5 रकबा 1.30 है0 मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड सा0देह दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि दिनांक 04.11.1975 को मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण के नाम साबिक खसरा नम्बर 138 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन कमांक 1891 दिनांक 04.11.1975 से मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर के हक स्वीकृत हुआ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण संख्या 207 निर्णय दिनांक 10.03.1976 का साबिक जमाबन्दी सं0 2034–37 खाता संख्या 145 में साबिक खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (कारीगर) दर्ज हुआ। जमाबन्दी सं0 2038–41 खाता संख्या 145 में मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (जांगिड) दर्ज हो गया है। आवंटी की जाति ब्राहम्ण से कारीगर व जांगिड होने के सम्बन्ध में नामान्तकरण व शुद्धिपत्र का कोई भी नोट सम्बन्धित जमाबन्दी पर अंकित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वरवक्त भू-प्रबन्ध साबिक खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा से हाल खसरा नम्बर 311,312, 313, 314,315 मुताविक मिलान क्षेत्रफल कायम किये गये, हाल जमाबन्दी सं0 2070-73 ग्राम बनवारीपुर खाता संख्या 188 पर खसरा नम्बर 311, 312/1, 313, 314, 315 किता 5 रकबा 1.30 है0 मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड सा0 देह दर्ज रिकार्ड है।

अन्य दादरसी- में अंकित किया है कि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात आवंटन पत्रावली, पट्टा, नामान्तकरण प्रति एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत श्री महावीरजी द्वारा तैयार किया गया फर्द मौका दिनांक 29.07.2021 से स्पष्ट है कि आवंटी मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण के नाम से भूमि का आवंटन साबिक खसरा नम्बर 138 में से 5 बीघा हुआ था। लिपिकीय भूल से आवंटी की साबिक जमाबन्दी सं0 2034-37 खाता संख्या 145 में खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (कारीगर) तथा रोटेशन जमाबन्दी सं0 2038-41 खाता संख्या 145 में मुरारी पुत्र किशारी जाति ब्राहम्ण (जांगिड) दर्ज तत्समय व हाल जमाबन्दी सं0 2070-73 खसरा नम्बर 311, 312/1, 313, 314, 315 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड दर्ज हो गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

अतः प्रकरण एलआर एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की जाती है। जबाव के साथ में तहसीलदार हिण्डौन ने भू-अभिलेख निरीक्षक वृत श्रीमहावीरजी की रिपोर्ट व फर्द मौका दिनांक 29.07.2021 असल पेश किये हैं।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो तथा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों एवं अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत श्रीमहावीरजी की रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 29.07.2021 का अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के पिता मुरारी पुत्र किशोरी की जाति ब्राहम्ण है। मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर तहसील हिण्डौन को ग्राम बनवारीपुर की भूमि खसरा नम्बर 138 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था, जिसका नामान्तकरण सं0 207 निर्णय दिनांक 10.03.1976 मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण निवासी बनवारीपुर के हक में भरकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 207 निर्णय दिनांक 10.03.1976 का साबिक जमाबन्दी सं0 2034-37 खाता संख्या 145 में साबिक खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीघा मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (कारीगर) दर्ज हुआ। रोटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी सं0 2038–41 खाता संख्या 145 में मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण (जांगिड) निवासी बनवारीपुर दर्ज हो गया। वरवक्त भू–प्रबन्ध साबिक खसरा नम्बर 138/3 रकबा 5 बीधा से हाल खसरा नम्बर 311,312, 313, 314,315 मुताविक मिलान क्षेत्रफल कायम किये गये, हाल जमाबन्दी सं0 2070–73 ग्राम बनवारीपुर खाता संख्या 188 पर खसरा नम्बर 311, 312/1, 313, 314, 315 किता 5 रकबा 1.30 है0 मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड सा0 देह के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मुरारी पुत्र किशोरी की जाति राजस्व रिकार्ड में ब्राहम्ण के स्थान पर जांगिड गलत रूप से दर्ज है। जिसकी दुरूस्ती कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में की गई है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 0.26 है0, 312/1 रकबा 0.19 है0, 313 रकबा 0.20 है., 314 रकबा 0.34 है0, 315 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन में खातेदार मुरारी पुत्र किशोरी जाति जांगिड सा0देह खातेदार के स्थान पर मुरारी पुत्र किशोरी जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.16 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली